

स्कूल में कोई मानवीय हक नहीं ?

यदि आप सोचते हैं कि आपका स्कूल वह नहीं कर रहा

जो उसे करना चाहिए, या वैसे नहीं कर रहा जो उसे

करते होना चाहिए, तो आप अपने मातापिता,

अध्यापक, कोई और जो आपकी सहायता कर सके, को

बता सकते हैं।

गंभीर स्थिति में, आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। यदि

आप बालक हैं तो अपना वकील भी कर सकते हैं (यह

मुफ्त भी हो सकता है), या अपने मातापिता से पूछ

सकते हैं।

आप टैलीफोन से या इन्टरनेट से और अधिक जानकारी

या सलाह ले सकते हैं। और विस्तारपूर्वक जानकारी

पीछे के पन्नों पर है।

यह छोटी पुस्तक शिक्षा कानून

इकाई द्वारा लिखी गई है।

आप हमें इस पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

ऐजुकेशन ला युनिट

**Education Law Unit,**

Govan Law Centre,

47 Burleigh Street,

Glasgow G51 3LB

टैलीफोन/टैक्सट: 0141 445 1955

फैक्स: 0141 445 3934

ई-मेल: [advice@edlaw.org.uk](mailto:advice@edlaw.org.uk)

वेब [www.edlaw.org.uk](http://www.edlaw.org.uk)

आप यहां से और सलाह ले सकते हैं:

पूछताछ करें: 0131 222 2400, or

[www.enquire.org.uk](http://www.enquire.org.uk)

Scottish Child Law Centre

18 से कम आयु के लिए मुफ्त फोन है:

0800 328 8970

# स्कूल में

## मानवीय अधिकार

बच्चों और जवान लोगों को भी स्कूल में मानवीय अधिकार प्राप्त हैं

## स्कूल में मानवीय अधिकार

यह छोटी पुस्तक उन बच्चों और जवान लोगों के लिए है, जिन्हें स्कूल में अधिक आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। यह बरेल, ऑडियो, बीएसएल वीडियो और दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध है।

मानवीय अधिकार क्या होते हैं ?

कानून का मानना है कि मानवीय अधिकार सभी को प्राप्त होने चाहिए, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि वह कौन है, इसका अर्थ है कि बच्चों और जवान लोगों के भी।

कुछ ऐसे भी अधिकार हैं, जैसेवल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राप्त हैं। कुछ मानवीय अधिकारों का सम्बन्ध उन घटनाओं से होता है, जो स्कूल में घटती हैं।

## स्कूल में मानवीय अधिकार

आपका स्कूल जाने का अधिकार है।

स्कूल को आपके विचार सुनने चाहिए और आपके अधिकारों का आदर करना चाहिए।

स्कूल को आपके धर्म और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए।

यदि आप अंगहीन हैं तो, स्कूल को आप को अधिक स्वतन्त्र बनाने में सहायता करनी चाहिए।

आपके स्कूल को दूसरे व औरों की तुलना में, आप से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह सोच कर कि आप अंगहीन हैं।

यदि किसी कारण आपको सजा दी जाती है, तो सजा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपका निरादर या आपको उलझन हो।

यदि कोई अध्यापक आपसे आपकी कोई वस्तु लेता है तो स्कूल के बाद आपको वापिस कर देनी चाहिए, जब तक कि यह खतरनाक या कानून के विरुद्ध न हो।

यदि आप कोई व्यक्तिगत या गुप्त बात स्कूल को नहीं बताना चाहते, तो आपको बताना आवश्यक नहीं है।

यदि आप कोई व्यक्तिगत या गुप्त बात स्कूल को बता देते हैं तो आमतौर पर स्कूल इसे गुप्त ही रखता है।

आप को विश्राम और खेलने के समय की आज्ञा होनी चाहिए। आपको स्कूल का काम छुट्टी के समय या खाने के समय में करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।